

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक एफ18(15)नविवि/लैंड पुलिंग/2016/पार्ट

जयपुर, दिनांक: 01-02-2025

आदेश

राजस्थान लेण्ड पुलिंग स्कीम एक्ट, 2016 की धारा 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्न वर्णित स्कीम-1 व स्कीम-2 के क्षेत्र में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 को निलम्बित करती है।

Scheme-1:- Land Pooling Scheme (LPS) at village Shivdaspura, Chandlai and Barkheda Tonk Road Jaipur Notification under section 4(1) of Rajasthan Land Pooling Act, 2016 published in Gazette dated 21.03.2024.

Scheme-2:- Land Pooling Scheme (LPS) at village Achrawala, Jaisinghpura Urf Tejawala and Abhaypura, Diggi-Malpura Road, Jaipur Notification under section 4(1) of Rajasthan Land Pooling Act, 2016 published in Gazette dated 21.03.2024.

(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मु.न.नि./मा. प्लान /2024/डी- दिनांक 30.12.2024 के क्रम में।
- निदेशक, आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- अतिरिक्त आयुक्त, भूमि अवाप्ति कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक, नगरीय विकास विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature valid



Digitally signed by Ravi Vijay
Designation: Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.02.01 14:47:26 IST
Reason: Approved